हुक्म तारीख नंबर व तारीख

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र खिमाडा

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 52/2007
दायरा तिथि 19.06.2007
निर्णय तिथि 18.06.2016

वादीगण– **बनामः**

स्व.भेरा के कायम मुकाम व वारिस–
1–छोगाराम पुत्र स्व.भेराजी,
2–धन्नाराम पुत्र स्व.भेराजी,
3–बाबूलाल पुत्र स्व.भेराजी,
4–रमेशकुमार पुत्र स्व.भेराजी
5–मु.हंजा पत्नी स्व.भेराजी
जातिगण मारू कुम्हार,
निवासीगण बिरामी, तह.सुमेरपुर

प्रतिवादीगण–

1–लादुराम पुत्र रूपाजी
2–मोहनलाल पुत्र रूपाजी
3–सवाराम पुत्र रूपाजी
4–मु.मगु बेवा रूपाजी
5–भूता पुत्र हेमाजी
6–स्व.हुकमा पुत्र हेमाजी के का.मु.–
6/1–मनोहरकुमार पुत्र हुकमाजी
6/2–सुरेशकुमार पुत्र हुकमाजी
6/3–ममता पुत्री हुकमाजी
6/4–भूरीबाई पत्नी हुकाजी
7–स्व.खीमा पुत्र हेमाजी के का.मु.–
7/1–मंगला पुत्र खीमाजी
7/2–जवाना पुत्र खीमाजी
7/3–मु.भूरी बेवा खीमाजी
जातिगण मारू कुम्हार
निवासीगण बिरामी
तहसील सुमेरपुर
8–राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (राजस्थान) जिला-पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट,1955 एवं
सपठित धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट,1956

–: नि र्ण य :–

दिनांक 18.06.2016

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र खिमाडा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन एवं परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत अपनी पुश्तैनी आवंटित सुदा स्वामित्व के कब्जे काश्त की कृषि भूमि जो सरहद मौजा बिरामी तहसील सुमेरपुर में स्थित पुराने खसरा नं.133 से बने हाल खसरा नं. 688/1307 रकबा 1.90 हेक्टर एवं खसरा नं. 688 में से रकबा 0.78 हेक्टर कुल रकबा 2.68 हेक्टर सेटलमेंट का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं उक्त घोषित सुदा वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण या उनके कोई भी प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी या बेदखल नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु निर्णय/डिक्री का अनुतोष चाहा गया है। वादीगण ने वादपत्र के साथ दस्तावेज क्रमशः नामान्तरकरण सं. 767 व 124, जमाबंदी संवत् 2030–33, सन् 2005, संवत् 2060–63, गत् व हाल नक्शा ट्रेस, मिलान क्षेत्रफल इत्यादि की प्रतियां पेश की है।

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

(2) कि वादीगण का कथित वादपत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रश्नगत् मामले में प्रतिवादी सं.08 की ओर से जवाबदावा पेश हुआ जिसमें वादपत्र के अधिकांश कथनों व तथ्यों को नकारते हुए जाहिर किया कि पुराने खसरा नं.133 में से 16)15 बीघा भूमि वादीगण की खातेदारी दर्ज थी, वर्तमान खसरा नं. 688 रकबा 2.00 हेक्टर प्रतिवादी सं.01 लगाय 07 के कब्जे काश्त में है व हाल खसरा नं. 688/1307 रकबा 1.90 हेक्टर भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज है जो मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत् खसरा नं. 133/12 से नहीं बना है। प्रतिवादी सं.01 लगाय 07 बावजूद सम्मन तामील/सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली पर तनकियात बिन्दु सं.01 लगाय 04 कायम किए जाकर रेकर्ड पर लिए गये। पत्रावली वादीपक्ष की शहादत में विचारार्थ रहते गत् दिनांक 08.07.2015 को राजस्व लोक अदालत केम्प बिरामी में प्रश्नगत् मामले में पटवारी बिरामी व भू–अभिलेख निरीक्षक ढोला ने वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट पेश की जिसमें उल्लेख किया है कि गत् खसरा नं. 133/12 रकबा 16)15 बीघा भूमि पहले भेरा के पिता खेता पुत्र वना के नाम दर्ज थी, लैकिन पारिवारिक सहमति के आधार पर रूपा, भूता, हकमा, खीमा पि.हेमा का नाम 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया व शेष 1/2 हिस्सा भेरा पुत्र खेता का बदस्तुर दर्ज रहा। सेटलमेंट के बाद इसी खसरा नं. 133/12 रकबा 16)15 बीघा के नये खसरा नं. 688 रकबा 2.00 हेक्टर बने जिसमें रकबा 0.68 हेक्टर कम दर्ज हुआ। लैकिन राजस्व रेकर्ड में बदलाव कर लादूराम, मोहन, सवा पि. रूपा, मंजू बेवा रूपा, भूता पि.हेमा, भूरी पत्नी हकमा, मनोहर सुरेश पि. हकमा, मंगलाराम, जवानाराम पि.खीमा, भूरी बेवा खीमा दर्ज कर दिया और इस प्रकार 1/2 हिस्से के खातेदार भेरा/खेता का नाम विलोपित कर दिया एवं सम्पूर्ण खाता शेष 1/2 के खातेदार रूपा, भूता, खीमा, हकमा पि.हेमा के वारिसान के नाम दर्ज कर दिया है।

यह पत्रावली विधिक प्रक्रियां के अधीन विचारार्थ रहते हुए इस आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प में प्रस्तुत होने पर पक्षकारों द्वारा लोक अदालत की भावना से इस आशय का राजीनामा पेश किया "कि सरहद बिरामी के पुराने खसरा नं. 133/12 रकबा पोने सत्रह बीघा भूमि वादीगण के पिता के नाम से राजस्व रेकर्ड में सेटलमेट के पूर्व दर्ज थी, परन्तुक सेटलमेंट के दौरान उक्त खसरा नं. 133/12 में से बिना किसी आधार के 2.00 हेक्टर अर्थात साढे बारह बीघा भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी एवं शेष भूमि सिवायचक दर्ज कर दी। अब वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया है जिसके अनुसार पुराने खसरा नं. 133/12 के नये खसरा नं. 688 रकबा 2.00 हेक्टर में से 1/2 हिस्सा भूमि वादीगण के नाम दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादीगण सहमत है और खसरा नं. 688 रकबा 2.00 हेक्टर में से वादीगण के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज की जाती है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है, जिस हेतु दोनों पक्ष सहमत है।" इस आधार पर राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करावे। हमने, पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत राजीनामा की इबारत का बाद सत्यापन करके इसे तस्दीक कर रेकर्ड पर लिया।

चूंकि, लोक अदालत की भावना से प्रश्नगत् मामले में पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे की इबारत के तहत सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से हमने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभियक्त कथनों, तथ्यों व साक्ष्य–दस्तावेजों के अनुसार वादपत्र के तथ्यों एवं तस्दीक सुदा राजीनामा में वर्णित इबारत तथ्यों की बखुबी पुष्टि होती है, और इस प्रकार हमारे विधिक विचारों में वादीगण का यह वादपत्र कतिपय प्रावधानों के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तस्दीक सुदा राजीनामा की इबारत के अनुरूप स्वीकार एवं डिक्री किया जाना उचित समझते है।

लगातार–3

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

अतः उल्लेखित विश्लेषण एवं विवेचित तथ्यों के परिणामतः वादीगण का यह वादपत्र कतिपय प्रावधानों के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तस्दीक सुदा राजीनामा की इबारत के अनुरूप स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर सरहद मौजा बिरामी, तहसील सुमेरपर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 688 रकबा 2.00 हेक्टर में से वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम बतौर खातेदारी बदस्तुर रखी जाती है। साथ ही तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का बिरामी को आदेशित किया जाता है कि वे उपरोक्त निर्णय/डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे। माफिक निर्णय डिक्री–पर्चा मुतिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 18.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र खिमाडा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner